

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।  
परिवाद पत्र संख्या :- 378/2018  
आदेश

02.07.2019 परिवादी की हाजरी दी गई है । अभिलेख आदेश हेतु निश्चित है । अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया ।

अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि परिवादी रामाशीष दास के द्वारा अभियुक्तगण बदन दास, मीना देवी, सुबेन्द्र दास, रमेश दास, सुनीता देवी, धर्म दास एवं राहुल दास के विरुद्ध परिवाद पत्र दाखिल किया है । परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद पत्र, परिवादी का सशपथ बयान एवं परिवादी के द्वारा प्रस्तुत कराये गये जाँच साक्षियों के साक्ष्यों का अवलोकन किया ।

परिवाद पत्र एवं उपरोक्त जाँच साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर परिवाद पत्र के नामांकित अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 379 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है ।

परिवादी को यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध समन निर्गत करने हेतु आवश्यक अपेक्षाएँ एक सप्ताह के अंदर दाखिल करे । तत्पश्चात् कार्यालय अभियुक्तगण के विरुद्ध समन निर्गत करे । दिनांक:-01-10-2019 वास्ते अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।